


28/4/26

प्रार्थी उफ) प्रार्थी बैंक ने अपने पत्रांक 1226 दिनांक 22/4/26 के द्वारा
अवगत कराया है कि श्रवणीयो। अप्रार्थीगण देवी 5/10 रुपये का न
सम्पूर्ण प्रेषण चुकता कर दिया है। वर्तमान में बैंक में कोई
प्रेषण कराया नहीं है। ऐसी स्थिति में श्रवणीयो। अप्रार्थीगण के विरुद्ध
धारा 103 के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं चलती है। प्रकरण को उसी
स्तर पर स्वारिज छोड़े जाने तथा श्रवणीयो। अप्रार्थीगण की उदात्त
हाथ आराजी को बैंक के नाम अन्तर्ग करने की कार्यवाही को निरस्त
छोड़े जाने की आशंका की है अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर
प्रकरण में कार्यवाही उसी स्तर पर समाप्त की जाकर प्रार्थना
पत्र प्रार्थी स्वारिज किया जाता है। पत्रावली जैलन शुमार होकर
नाम्बर से कम की जाकर बाद तकनीक कार्यालय दण्डर हो।


श्रीनिधि बी टी
विभा दलधर, धोलापुर